

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2014—माघ 18, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-अरेरा कालोनी, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2014

सूचना

क्र. 554-वियो-341-नग्रानि-2014.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि नीमच निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 7 फरवरी 2014 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, उच्चै न संभाग, उच्चै न
2. कलेक्टर, जिला नीमच
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के नीमच जिला कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

गुलशन बामरा, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. एफ-3-14-2014-32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-554-वियो-341-नग्रानि-2014, दिनांक 30 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 30th January 2014

NOTICE

No. 554-MPS-341-2014.—Notice is hereby given that the Draft of Development Plan for Neemuch Planning Area has published on dated 7th February 2014 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy there of is available for inspection during office hours at—

1. Commissioner, Ujjain Division Ujjain
2. Collector, District Neemuch
3. Dy. Director, Town & Country Planning, Distt. Office Neemuch

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, the same may be submitted in writing to the abovementioned district office of Town & Country Planning, Neemuch before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the “Madhya Pradesh Gazette” for due consideration.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GULSHAN BAMRA, Commissioner-cum-Director.